बिहार सरकार
परिवहन विभाग
(बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्)

संचिका संख्या–स0 सु0 (लीड एजेंसी) बजट–7–52/2024, 229।

प्रेषक,

आरिफ अहसन, भा.प्र.से.,
राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति, अरवल।

पटना, दिनांक–17-03-2026

विषयः– **बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–0121–बिहार वाहन दुर्घटना सहायता, विपत्र कोड–47–2235602000121 विषय शीर्ष–मुआवजा (33–02) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु ₹5,00,000/–(पाँच लाख) मात्र निधि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु मुआवजा (33–02) मद में रू0 5,00,000/–(पाँच लाख) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के साथ प्रदान किया जाता है।

2. इस राशि का आवंटन बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–0121–बिहार वाहन दुर्घटना सहायता, विपत्र कोड–47–2235602000121 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में विषय शीर्ष मुआवजा (33–02) से किया जाएगा।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश संख्या–2561/वि0, दिनांक–17.04.1998 तथा परिवहन विभाग संकल्प संख्या–380, दिनांक–16.01.2024 में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना के विरूद्ध भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, अरवल द्वारा किया जाएगा।

5. आवंटित राशि का व्यय जिला परिवहन पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव (प्रशासन), जिला सड़क सुरक्षा समिति, अरवल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आवंटन का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं है। अतः आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार करते हुए व्यय विवरणी, टी.वी. सं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही निकासी की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से करा ली जाए, ताकि अधिकाई व्यय की संभावना नहीं रहे।

अनुलग्नक–आवंटन विवरणी।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

ज्ञापांक—स0 सु0 (लीड एजेंसी) बजट—7—52/2024, 229 पटना, दिनांक— 17-03-2026

प्रतिलिपि—जिला परिवहन पदाधिकारी—सह—सदस्य सचिव (प्रशासन), जिला सड़क सुरक्षा समिति, अरवल को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, अरवल/अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.26

राज्य परिवहन आयुक्त—सह—प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–0121–बिहार वाहन दुर्घटना सहायता।

विपत्र कोड–47–2235602000121 विषय शीर्ष– मुआवजा (33–02)

आवंटन अप्रैल 2025 से मार्च 2026

कार्यालय का नाम–जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, अरवल।

विषय–आवंटित राशि का राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन अथवा गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को बिहार वाहन दुर्घटना सहायता के आलोक में भुगतान हेतु किया जायेगा।

आवंटन वित्तीय वर्ष 2025–2026

क्रम सं0	मृतक का नाम/पता	मृतक के आश्रित का नाम	मुआवजा (33–02)		
			पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	स्व0 विमल कुमार पिता–सरयु यादव ग्राम–ढोढरा टोला मुसन बिगहा, थाना–कुर्था, जिला–अरवल	श्रीमती संजु देवी, (मृतक की पत्नी)	0	5,00,000	**5,00,000**
			0	**5,00,000**	**5,00,000**

(कुल रूपया पाँच लाख मात्र)।

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।